प्रेषक

महानिदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा।

सेवा में

सभी महा प्रबन्धक(सिवाय दिल्ली) हरियाणा राज्य परिवहन। कमांक 1085-1107/एसटीए5 दिनांक: 25-5-2014.

विषय:

बस स्टैण्ड पर स्थित दुकानों का निरीक्षण करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस कार्यालय के ध्यान में आया है कि हरियाणा राज्य परिवहन के बस स्टैण्डों पर यात्रियों की सुविधा के लिये किराये पर दी गई दुकानों में बेची जा रही वस्तुओं / सामान की गुणवता ठीक नहीं और दुकान के बाहर रेट सूची भी प्रदर्शित नहीं की गई है। गुणवता रहित खाद्य / पेय सामग्री से यात्रियों की सेहत प्रभावित होने का अंदेशा बना रहता है। विभाग द्वारा बस स्टैण्डों पर स्थित दुकानों को किराये पर देने की पोलिसी में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि दुकानों पर केवल पोलिसी में अनुमोदित वस्तुयें ही रखी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त बिना एम0आर0पी0 की खाद्य / पेय सामग्री के रेट डिपो स्तर पर गठित कमेटी द्वारा निर्धारित करके दुकान के बाहर प्रदर्शित करवायें जायें तथा एमआरपी वाली वस्तुयें एमआरपी रेट पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाये। पोलिसी अनुसार प्रत्येक दुकान का प्रति सप्ताह सम्बन्धित कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाये। उक्त बारे पोलिसी के प्रावधान नीचे दिये गये है:—

Weekly Inspection: "The depot Officers - GM himself as well as TM, WM and AO should make surprise checking of various bus stands under their jurisdiction atleast once in a week to ensure that all terms and conditions of the contract are being followed in letter & Spirit by all shop contractors/allottees. The Traffic Manager should personally Monitor on day to day basis through the Adda Incharges that the terms & conditions of the policy are strictly being implemented by the shop contractors. The Accounts Officer may ensure that due procedures are followed and all dues are being paid by the shop contractors by due dates and the amount collected is being immediately deposited in the bank. The Officers should also get feed back from the public that shop/booth contractor were not indulging in any over charging, lack of quality standards or misbehaviour etc. The Inspecting Officer may also check that no encroachment has been made and no extra electrical appliances are being used by the shop contractor. It should also be mentioned in the report that no extra hawker was there at the bus stand.

The Accounts Officer should be made responsible for properly implementing the policy regarding allotment of shops at the bus stands and every thing should not be left to the building clerk.

A register should be maintained to record the weekly inspection reports of the officers and action taken thereon".

उपरोक्त बारे यह निर्णय लिया गया है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हये सभी महा प्रबन्धक एक स्पैशल कम्पेन के तहत अपने डिपो के अधीनस्थ बस स्टैण्डों की सभी दुकानों का अपने स्तर पर निरीक्षण करेंगें तथा रिपोर्ट दिनांक 30.05.2014 से पूर्व मुख्यालय को भिजवायेगें। इसके उपरान्त पोलिसी के अनुसार सप्ताहिक तौर पर व आकस्मिक तौर पर चैकिंग भी करना सुनिश्चित करें।

> कृतेः महानिदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़। ह

पु०कं० 1168-13 /एसटीए5

दिनाक : 23-5-2014 1914 उपरोक्त की एक प्रति सभी नोडल अधिकारी(मुख्यालय) (डिपो निरीक्षण) को भेजकर अनुरोध है कि डिपों के निरीक्षण के समय उपरोक्त हिदायतोंनुसार डिपों पर स्थित दकानों का भी निरीक्षण किया जाये।

> कृतेः महानिदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।